न्याय शुल्क चस्पा नही उपलब्ध होने पर चस्पा किया जावेगा

1

124

भान. सदस्य मण्डल रा.म. ग्वालियर (इन्दौर कैम्प)

न्यायालय श्रीमान ~~आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर म.प्र.~~

PBR/निगरानी/खण्डवा/भू.रा./2017/2845

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत
धारा 51म.प्र.भू.रा.सं.

1— भीमसिंह पिता राधेलाल उम्र लगभग 34साल, जाति अहीर निवासी भराडी तहसील हरसूद जिला खंडवा, ...प्रार्थी

विरूद्व

1— मांगीलाल पिता सेवाराम,
2— नत्थू पिता सेवाराम,
3— फत्तू पिता सेवाराम, सभी जाति गवली निवासी भराडी रैयत तहसील हरसूद जिला खंडवा, ...प्रतिप्रार्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री .... यादव
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26-07-
को प्रस्तुत।
508
26-07-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

याचिकाकर्ता निम्नवत निवेदन करता है :—

यहकि विद्वान निम्न न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हरसूद जिला खंडवा द्वारा रा.प्र.क. 02अ/13वर्ष 2016—17में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14.7.2017 जिसके तहत रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है जिससे असंतुष्ट दुखी एवं पिडित होकर यह याचिका निम्न तथ्यों आधारो एवं पर सादर प्रेषित है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/खण्डवा/भू.रा./2017/2845

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–8–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–7–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर रास्ता खोले जाने का अन्तरिम आदेश पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	